न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 60 / 2024

1 सांवरमल उम्र 64 साल पुत्र स्व. कानाराम
2 गिरधारीलाल पुत्र स्व. कानाराम
3 गोपाल सिंह पुत्र स्व. कानाराम
4 छोटी देवी पत्नी स्व. कानाराम
5 प्रवीण पुत्र स्व. बजरंगलाल
6 मुन्नी पत्नी स्व. बजरंगलाल
समस्त जाति धाबाई निवासी भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी पुनियां की ढाणी, तन भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 शंकरलाल पुत्र स्व. कानाराम जाति धाबाई निवासी भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.05.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी प्रार्थना पत्र जगदीश बनाम गिरधारीलाल आदि प्रार्थना पत्र बाबत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 32 / 2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सिंगादिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोहिताश कुल्हरि, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजस्व ग्राम भगेरा की सरहद में नया खाता संख्या 41 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 ता 2.78 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी व काश्त की भूमि है। प्रार्थी इस कृषि भूमि में आने–जाने बाबत 15 फुट चौड़ा रास्ता रिकार्ड में दर्ज व आवागमन के रास्ते से आगे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155 ता. 1.46 हैक्टेयर की पश्चिमी दिशा की तरफ से आगे उतरी सीमा के सहारे–सहारे चलकर प्रार्थी की कृषि भूमि तक ए से बी बिन्दू का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर कायम व स्थापित किया जावें। जिस पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट नम्बर 1 ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने चाचा महादेवाराम की जमीन खसरा नम्बर 142 ग्राम भगेरा की दक्षिणी सीमा से रास्ते में आने–जाने के लिए ले रखा है जो मौके पर मौजूद है। खेत खसरा नम्बर 140 में आने के लिए तहसीलदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

के न्यायालय में मामला चला था जिस पर राजस्व अधिकारियों ने मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की थी जो दिनांक 01.12.2006 की है। उसमें रास्ता भगेरा से तोगड़ा जाने वाले कटाण के रास्ते से निकलता है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 140 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 142 में रास्ता मौजूद है। जिससे प्रार्थी आवागमन कर रहा है तथा निकटतम रास्ता भी यही है जिसकी मांग प्रार्थना पत्र में नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की जिस पर बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.05.2024 को कर प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का स्वीकार कर चाहा गया रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम भगेरा के सरहद में स्थित वर्तमान भूमि नया खाता संख्या 41 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 में आने जाने के लिए अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155 की उतरी सीमा के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शे ए से बी बिन्दू जिसकी लम्बाई 315 फुट व चौड़ाई 15 फुट कुल क्षेत्रफल 4725 वर्गफुट भूमि का रास्ता सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज कर कायम किये जाने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा जो प्रार्थना पत्र रास्ते की मांग बाबत प्रस्तुत किया गया, उक्त रास्ता खसरा नम्बर 128 में से होते हुए उसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दर्शाया है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 खसरा नम्बर 140 में आवागमन हेतु राजकीय भूमि 128 में से होकर खसरा नम्बर 155 में से रास्ते की मांग की है जबकि विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि भूमि खसरा नम्बर 128 में से रास्ता दिया जा सकता है या नहीं क्योंकि उक्त 128 की भूमि राजकीय भूमि है जिसकी नेचर नडिया/जोहड़ है जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उसमें से रास्ते की न तो मांग की गयी और ना ही रास्ता दिया जा सकता है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रास्ता की मांग किये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी को यह देखना आवश्यक है कि जहां से रास्ता मांगा गया है वहां तक रास्ता कायम है या नहीं। उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 128 में से न तो रास्ता मांगा गया और ना ही इसमें रास्ता हैं। अपीलांट नम्बर 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये जवाब वस्तुस्थिति प्रकट कर दी गयी कि भूमि खसरा नम्बर 140 के खातेदारान द्वारा पूर्व में तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 142 के दक्षिणी सीमा पर 10 फुट चौड़ा रास्ता से होकर भूमि खसरा नम्बर 140 में आवागमन किया जा रहा है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा पूर्व में की गयी कार्यवाहीयों में इस बात को लिखित में स्वीकार किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 142 में से होकर अपने खेत में आवागमन कर रहा है और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के उक्त रास्ते को पूर्वी सीमा पर भूमि खसरा नम्बर 141 वाले ने बंद कर रखा है जिसे खुलवाया जावें। इस प्रकार से विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व जवाबदेही की अनदेखी करते हुए आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट नम्बर 1 के द्वारा जो जवाब पेश किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अगर भूमि खसरा नम्बर 140 में आवागमन करने में खसरा नम्बर 141 के खातेदारों द्वारा रास्ता नहीं दिया जाता है तो अपीलांटस अपनी भूमि खसरा नम्बर 143 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ जमीन के बदले जमीन दिये जाने की सूरत में रास्ता दिये जाने हेतु तैयार है। विचारण नयायालय ने अपने आदेश में अपीलान्टस को जमीन के बदले जमीन दिये जाने के बजाय डीएलसी रेट के दुगुना रूपय दिलाये जाकर रास्ता कायम करने का आदेश दिया है जिससे अपीलांटस व्यथित है अपीलान्टस की कभी भी मंशा रूपय लेने की नहीं रही है ना ही रास्ता दिये जाने से इंकार किया है जबकि अपीलान्टस ने ता वस्तुस्थिति प्रकट करते हुए रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा पूर्व में जहां से रास्ता प्रचलित है उसके साथ–साथ अपने खसरा नम्बर में से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

रास्ता दिये जाने हेतु सहमति भी दी है लेकिन विचारण न्यायालय ने उस ओर कोई गौर नहीं किया। विचारण न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आदेश भू–लेख निरीक्षक को दिया गया। जिस पर दिनांक 23.08.2023 को मौका देखकर रिपोर्ट बनाये जाने के आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है जो कतई न्यायसंगत नहीं है क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में ही तैयार की जावेगी। उक्त प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पक्षकारों को ना तो नोटिस जारी किये गये तथा ना ही इनका हवाला उनकी मौका रिपोर्ट में है। मौका रिपोर्ट इस प्रकार से पेश कर दी जिस प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चाहता था जबकि कटाणशुदा रास्ते से जो निकटतम रास्ता प्रचलित या खुला हुआ था, उससे लघुतम दूरी का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट पक्षकारों की गैरमौजूदगी में तैयार की जाकर वेग होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपीलान्टस की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.05.2024 को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने राजस्व ग्राम भगेरा की सरहद में नया खता संख्या 41 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 2.78 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 2.78 हैक्टेयर में आने जाने बाबत 15 फूट चौड़ा प्रश्नगत रास्ता संलग्न नक्शे में ए से बी बिन्दु से प्रदर्शित ग्राम भगेरा से गै.मु. नडिया जोहड़ तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज व आवागमन के रास्ते से आगे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 1.46 हैक्टेयर की पश्चिम दिशा की तरफ से आगे उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे चलकर प्रार्थी की कृषि भूमि तक ए से बी बिन्दू का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर कायम व स्थापित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

आवेदक को अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 140 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत में पहुचने के लिए लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 155 में से है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति को सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने राजस्व ग्राम भगेरा की सरहद में नया खता संख्या 41 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 2.78 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 2.78 हैक्टेयर में आने जाने बाबत 15 फूट चौड़ा प्रश्नगत रास्ता संलग्न नक्शे में ए से बी बिन्दु से प्रदर्शित ग्राम भगेरा से गै.मु. नडिया जोहड़ तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज व आवागमन के रास्ते से आगे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 1.46 हैक्टेयर की पश्चिम दिशा की तरफ से आगे उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे चलकर प्रार्थी की कृषि भूमि तक ए से बी बिन्दू का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर कायम व स्थापित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 140 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत में पहुचने के लिए लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 155 में से है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की उपस्थिति को सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि अगर खसरा नम्बर 141 के काश्तकार सुगनाराम पुत्र भगवानाराम व अन्य द्वारा रास्ता नहीं दिया जाता है तो हम खसरा नम्बर 143 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ रास्ते के बदले जमीन देने पर रास्ता दिया जाने में सहमत है। यद्यपि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य इस पर कोई सहमति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर: (कैम्प झुन्झुनूँ)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर